न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू–अर्जन प्र.क्र. 42/अ–82/2014–15
ग्राम बरलिया प.ह.नं. 32
तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) आवेदक.

विरूध्द

1– दिलचंद पिता गणेशराम जाति अघरिया
2– कीर्तन पिता मुकुन्दराम जाति तेली
3– भगतु पिता बेना जाति कंवर
4– भरत शत्रुहन नारायण पिता धर्नुजय चंचला बेवा धर्नुजय लीलाबाई बेवा शोभाराम, कुंती, गुलाब, कुसुम, मधुसूदन, पिता शोभाराम, कस्तूरी बेवा नित्यानंद, कौशल, चन्द्रशेखर, यशोदा, सहोद्रा, पिता नित्यानंद , रैवती पिता धर्नुजय जाति तेली
5– हरिराम पि0 बंशीधर जाति भुईया
6– जलरू बन्धन पिता मधु, बसती बेवा नत्थूराम, सहोद्रा गुरबारी पिता नत्थूराम, नानदाऊ, प्यारेलाल, पि. टेगनू अजोरी बेवा रामो, अर्जन , सूशिला पिता रामो, रामलाल मनकुवर, फुलमेत पि. बादी, लक्ष्मन पिता गजहां, समारी बे. साधुराम, बुडुराम पिता साधुराम जाति कंवर
7– ना0बा0 सरोजदास पिता गोबिन्दराम पा. पिता गोविन्दराम पिता धोबा जाति कसेर
8– दिरजो पिता हिरालाल जाति तेली
9– बोधराम पिता बूधू कवर
10– कुदंन मंगल तुलसी श्यामसुन्दर पिता बिजारु जाति पोबिया
11– परदेशी पिता घसिया जाति कवंर
12– श्यामलाल पिता घसिया कवंर
13– बुंदकुंवर बेवा जयलाल ना.बा. लखन कृष्णा गोविन्द पिता जयलाल पा.मां. बुंदकुंवर बेवा जयलाल जाति कंवर
14– सुखरु पिता भूखाउ कंवर
15– रामभरोस श्यामलाल पिता तेजराम घासीराम पिता रूगू वेदमति बे. आमालाल समस कुमार , अनुज, सक्रान्ति पिता आमालाल लीलाम्बर पिता धौंरालाल जाति कंवर
16– सुकमेत बे. जनकराम कुमार मोहित तीजमति पिता जनकराम, दयाराम पि. बुध्दू आनदंराम पि. ठुनू रामायणबाई पि. ठूनू बोर्रिहा पि. चमरा पि.जनकराम, दयाराम पि. बुध्दू आनंदराम
17– सुखरु पिता पिरती जाति कंवर
18– दिगम्बर पिता नंदू लक्ष्मीन पिता नंदू यशोदा बे. नंदू जाति कंवर
19– चेतन पिता पिरीत जाति कंवर
20– तुलसी राम व. पिरती जाति कंवर
21– कार्तिकराम पिता पिरती जाति कंवर

अनावेदकगण.

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अवार्ड आदेश

(दिनांक 09 –12–2016)

(1) यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/09/08/15 बरलिया दिनांक 06.8.2015 के अनुसार ग्राम–बरलिया प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. व तह.–रायगढ़ जिला रायगढ़ के निजी भूमि कुल ख.नं. 24 कुल रकबा 3.680 हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त भू–अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र कमांक 3062/राजस्व/ भू–अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :–

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि षेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू–अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईंस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिष्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/ जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुकम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम विजयपुरके प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुकम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू–अर्जन अधिनियम, की धारा–11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :–

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :–

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
86	0.445	97/3	0.170	115/2	0.008	132	0.012
92	0.012	114/3	0.121	111/1	0.152	133/1	0.369
93/2	0.417	114/1	0.121	111/2	0.152	133/2	0.178
117	0.008	113/5	0.121	111/3	0.152	133/3	0.170
94	0.146	114/2	0.045	110/1	0.073	133/4	0.167
95	0.433	115/1	0.020	109	0.142	133/5	0.046
योग– कुल ख.नं.24 कुल रकबा 3.680 हे.							

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अधिनियम की धारा–11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:–

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग–1 पृ.क्र. 1522
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. रायगढ़ संदेश में दिनांक. 12.10.2015
   2. दैनिक भास्कर में दिनाक 12.10.2015
3. ग्राम– बरलिया में मुनादी के माध्यम से दिनांक 08.11.2015

(3) प्रकरण में धारा–11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् किसी भी हितबद्ध पक्षकार अथवा किसी अन्य के द्वारा कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नही किया गया। फलस्वरूप अधिनियम की धारा–15 (2) के तहत सुनवाई की आवश्यकता नही हुई।

(4) अतएव प्रकरण में अधिनियम की धारा–19 की घोषणा के प्रकाषन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :–

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को भाग–1 पृ.क्र. 997,
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. रायगढ़ संदेश में दिंनाक. 012.5.2016
   2. दैनिक भास्कर में दिंनाक. 12.05.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 24.5.2016

प्रकरण में धारा 19 की घोषणा के प्रकाषन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा–21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू–स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू–स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, रायगढ़ एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :–

1– आपत्तिकर्ता महावीर प्रसाद यादव आ. विद्याधर यादव निवासी ग्राम उर्दना, द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं.94 रकबा 0.325हे. में से कय की गई ख.नं. 94/2 रकबा 0.056हे. भूमि अवैधानिक तौर पर पुनः विक्रेता भरत वगैरह के नाम पर अभिलेख दुरूस्त कर अधिग्रहण की कार्यवाही किये जाने के कारण श्रीमान् प्रथम व्य. न्याया.वर्ग–2 रायगढ़ के समक्ष घोषणात्मक आज्ञप्ति का व्यवहार वादक.55अ/2016 लंबित है। अतः मुआवजा भुगतान पर रोक लगाया जावे।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार अद्यतन राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भू–अर्जन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है, और अद्यतन राजस्व अभिलखों में दर्ज नामों के अनुसार मुआवजा आदि की गणना किया गया। तथा मुआवजा राशि का भुगतान न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावेगा। तद्नुसार आपत्ति का निराकरण किया गया।

2– आपत्तिकर्ता उदय आ. रामलाल यादव निवासी ग्राम उर्दना, द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं.94 रकबा 0.325हे. में से कय की गई ख.नं. 94/3 रकबा 0.056 हे. भूमि अवैधानिक तौर पर पुनः विक्रेता भरत वगैरह के नाम पर अभिलेख दुरूस्त कर अधिग्रहण की कार्यवाही किये जाने के कारण श्रीमान् प्रथम व्य.न्याया.वर्ग–2 रायगढ़ के समक्ष घोषणात्मक आज्ञप्ति का व्यवहार वादक.58अ/2016 लंबित है। अतः मुआवजा भुगतान पर रोक लगाया जावे।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार अद्यतन राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भू–अर्जन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है, और अद्यतन राजस्व अभिलखों में दर्ज नामों के अनुसार मुआवजा आदि की गणना किया गया। तथा मुआवजा राशि का भुगतान न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावेगा। तद्नुसार आपत्ति का निराकरण किया गया।

3– आपत्तिकर्ता भानुप्रताप आ. भरत पटेल निवासी ग्राम उर्दना, द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं.94 रकबा 0.325हे. में से कय की गई ख.नं. 94/4 रकबा 0.056हे. भूमि अवैधानिक तौर पर पुनः विक्रेता भरत वगैरह के नाम पर अभिलेख दुरूस्त कर अधिग्रहण की कार्यवाही किये जाने के कारण श्रीमान् प्रथम व्य.न्याया.वर्ग–2

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़ के समक्ष घोषणात्मक आज्ञप्ति का व्यवहार वादक.56अ/2016 लंबित है। अतः मुआवजा भुगतान पर रोक लगाया जावे।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार अद्यतन राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भू–अर्जन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है, और अद्यतन राजस्व अभिलखों में दर्ज नामों के अनुसार मुआवजा आदि की गणना किया गया। तथा मुआवजा राशि का भुगतान न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावेगा। तद्नुसार आपत्ति का निराकरण किया गया।

4– आपत्तिकर्ता इम्तियाज अहमद आ.मो.कयुमउददीन खान निवासी ग्राम उर्दना, द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं.94 रकबा 0.325हे. में से कय की गई ख.नं. 94/5 रकबा 0.073 हे. भूमि अवैधानिक तौर पर पुनः विकेता भरत वगैरह के नाम पर अभिलेख दुरूस्त कर अधिग्रहण की कार्यवाही किये जाने के कारण श्रीमान् प्रथम व्य.न्याया.वर्ग–2 रायगढ़ के समक्ष घोषणात्मक आज्ञप्ति का व्यवहार वादक.57अ/2016 लंबित है। अतः मुआवजा भुगतान पर रोक लगाया जावे।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार अद्यतन राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भू–अर्जन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है, और अद्यतन राजस्व अभिलखों में दर्ज नामों के अनुसार मुआवजा आदि की गणना किया गया। तथा मुआवजा राशि का भुगतान न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावेगा। तद्नुसार आपत्ति का निराकरण किया गया।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 20/10/2016 एवं पंचनामा दिनाँक 20/10/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। अधिग्रहित की जा रही भूमि का स्थल जांच कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर,औसत विकीछांट दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संषोधित) की दर से तुलना में गाईड लाईन की दर अधिक होने के फलस्वरूप गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015–16 की दर प्रति हे0 में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रति हे0 में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार,	775000/–	739053/–	800000/–
असिंचित टिकरा	775000/–	739053/–	800000/–

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का		गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
	प्रकार	रकबा				
1	खार असिंचित	0.273	875921/–	201761/–	539666/–	875921/–
	टिकरा असिंचित	3.407	10931360/–	2517953/–	6734958/–	10931360/–

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – निरंक

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – रू. 438077/–

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू.12245357/–

(8) प्रकरण मे भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़

(9) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं.24 कुल रकबा 3.680 हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये 12245357/– (अक्षंराक एक करोड़ बाईस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ सन्तावन रूपये मात्र) परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ–4–03/सात–1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू–अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ–4–28/सात–1/2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड –लाईन वर्ष 2015–16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण अवार्ड आदेश पारित किया जाता हैं।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

(भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़))

पृ.क्र. 2014 /अविअ/भू–अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 09–12–2016

प्रतिलिपि:–

(1) आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) रायगढ़ को सादर सूचनार्थ संप्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड मुआवजा राशि रू. 12245357/– (अक्षंराक एक करोड़ बाईस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ सन्तावन रूपये मात्रे) मात्र प्रदाय करने का कष्ट करें।

(3) महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया अवार्ड की प्रति संबंधित भूमि स्वामी को उपलब्ध करावें। प्रकरण में समय–सीमा के भीतर पूनर्वास अवार्ड की कार्यवाही नूर्ण किया जाना है। तथा पुनर्वास प्रतिवेदन गणना पत्रक के साथ शीघ्र प्रस्तुत करें।

(4) उप पंजीयक रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।

(5) तहसीलदार रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।

(6) राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित ।

(7) प.ह.न. 32 को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित ।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

(भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़))